न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 31/2025 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये अशोक कुमार यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	1. सतीश कुमार पुत्र प्रेम सिंह राजपूत मैसर्स एस एस मार्केटिंग 58, वेस्ट एक्सटेंशन सुभाष नगर भीलवाडा 2. सपना अग्रवाल पत्नी पंकज अग्रवाल – मालिक मैसर्स एस एस मार्केटिंग 58, वेस्ट एक्सटेंशन सुभाष नगर भीलवाडा ––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(v) एवं धारा 58

उपस्थित–
1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 01.07.2025

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी सतीश कुमार पुत्र प्रेम सिंह राजपूत मैसर्स एस एस मार्केटिंग 58, वेस्ट एक्सटेंशन सुभाष नगर भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् धनिया पाउडर का विकय कर रहा था। सतीश कुमार पुत्र प्रेम सिंह राजपूत मैसर्स एस एस मार्केटिंग 58, वेस्ट, एक्सटेंशन सुभाष नगर भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मौके पर 100 किलोग्राम धनिया पाउडर कट्टों मे रखा हुआ था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार धनिया पाउडर का नमूना लेकर वास्ते ज़ाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेष करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट